



2026:AHC-LKO: 22946

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. - 3267/2026

राज पाल सिंह

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार अनुभाग लखनऊ के माध्यम से और 2 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अखिलेश प्रताप सिंह, कुशाग्र कनोडिया

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुरेंद्र कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 17**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सहर्ष श्रीवास्तव, प्रतिवादी/विरोधी पक्ष संख्या 1 के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, तथा प्रतिवादी/विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र कुमार सिंह को सुना।

2. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"i. परमदेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को यह आदेश दिया जाए कि वे 'ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972' के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए, याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी की पूरी और सही राशि की तत्काल पुनः गणना करें और उसे जारी करें; ऐसा करते समय, वे याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक की उसकी संपूर्ण निरंतर सेवा अवधि को विधिवत रूप से ध्यान में रखें। यह आदेश इस माननीय न्यायालय द्वारा कृषि उत्पादन मंडी समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 24841 (एसएस) / 2016, दिनांक 19.07.2016 को निस्तारित वाद में दिए गए निर्णय के आलोक में जारी किया जाए; उक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि मंडी समिति के कर्मचारी 'ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972' के अंतर्गत ग्रेच्युटी प्राप्त करने के हकदार हैं।

ii. परमादेश की प्रकृति की एक और रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को, गलत तरीके से रोकी गई/विलंब से दी गई ग्रेच्युटी पर, अधिनियम की धारा 7(3ए) के पूर्ण अनुपालन में, वैधानिक ब्याज का भुगतान करें; अर्थात्, उस तिथि से जिस तिथि को ग्रेच्युटी देय और भुगतान योग्य हो गई थी, उस तिथि तक जिस तिथि को उसका वास्तविक भुगतान प्राप्त हुआ।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं; इसलिए, उसे विरोधी पक्ष संख्या 2, अर्थात्, निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, और उन्हें यह निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के उक्त अभ्यावेदन पर विचार करें और उसका शीघ्रतापूर्वक तथा जल्द से जल्द निस्तारण करें।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उक्त अभ्यावेदन के निस्तारण के लिए कोई निर्देश जारी किया जाए।

5. अतः, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वाद के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, मैं इस याचिका का अंतिम निस्तारण प्रवेश स्तर पर ही कर रहा हूँ। मैं याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता देता हूँ कि वह विरोधी पक्ष संख्या 2, अर्थात्, निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इस अभ्यावेदन में वह अपनी शिकायतें और सभी उपलब्ध तर्क तथा आधार प्रस्तुत कर सकता है, और यदि कोई हो, तो अपने पिछले अभ्यावेदन की प्रति भी संलग्न कर सकता है, जो अभ्यावेदन के निस्तारण के लिए आवश्यक हों। यह अभ्यावेदन आज से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त निर्धारित समय के भीतर ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी उस पर विचार करेंगे और विधि के अनुसार, एक सुविचारित और



तर्कसंगत आदेश के माध्यम से उसका निस्तारण करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेंगे। यह प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक, और अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, और इसके निर्णय की सूचना तत्काल याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई विधिक बाधा नहीं है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान याचिकाकर्ता को उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया जाएगा; ऐसा न होने पर, याचिकाकर्ता विलंबित भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार होगा। तथापि, यदि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलंब होता है, तो ब्याज के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर भी वैधानिक प्रावधानों के आलोक में विचार किया जा सकता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

31 मार्च 2026

गौरा वी/-